न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/60/2022, रजि0 न0 2022/126

अपीलार्थीः–

श्री रविप्रकाश यादव व्यख्याता
रा. उ. मा. विधालय कोटकासिम
जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 11.04.2022

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को आवेदन पत्र दिनांक 10.02.2022 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम। द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संवंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम से जरिये पत्र कंमाक 262 दिनाक 25.03.2022 के द्वारा जवाव तलव किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 05.04.2022 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम ने जरिये पत्र कंमाक 1850 दिनाक 05.04.2022 के द्वारा जवाव प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्र कंमाक 3710 दिनाक 09.03.2022 के सूचना उपलब्ध करायी जा चुकि है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।
5. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा अपील का बिन्दूवार जवाव/सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करा दिये जाने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्वर से कम हो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(वंदना खोरवाल)
अति0 जिला कलक्टर,(द्वितीय)
अलवर, (राजस्थान)

जि0 कले0 एवं अति0 जि0 मजि0
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर